भूमि पर बाग लगाने की पांच वर्ष की मंजूरी का नोट दर्ज है। अगस्त 1941 में गणेश बाग को सूरजमल आ0 भूरामल महाजन द्वारा हरकचन्द आ0 प्रेमराज महाजन को बेचान किया गया। बाग लगाने के लिये दी गई आराजी को बैचान कर देने पर मिसल न0 176/43 से कार्यवाही चली जिसके अन्तर्गत 15 दरख्त,बावडी,चाह,छत्री को खाता सरकार करने के आदेश दिये(दिनांक 30.03.43 की कार्यवाही अनुसार) तथा जिस भूमि पर सूरजमल,हरकचन्द द्वारा बाग लगाया गया है उसको हरकचन्द के खाते बांधने के आदेश है । उक्त बावडी,चाह,छत्री वर्तमान में ख0न0 22 में स्थित है जिसको मिल्कीयत सरकार में दिनांक 30.03.43 को आदेश है। मौके पर मंदिर पक्का बना हुआ है। इस स्थान को गणेश बाग के नाम से जाना जाता है। हरकचन्द के खाते बान्धे जाने के जिस भूमि के आदेश है वो हरकचन्द द्वारा दस्तावेज संख्या 76/49 दिनांक 09.12.49 से दामोदरदास रूपनारायण गोपालदास रामनिवास को बेचान करने पर खाते में उनका नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि में से ख0न0 22 रकबा 7.09 बीघा के अतिरिक्त समस्त भूमि का बैचान करने पर खातेदार रमाशंकर आ0 दुलीचन्द महाजन सरदार प्रीतमसिंह हरबशंसिंह पुत्र गोपालसिंह बालकिशन आ0 रामनारायण नाई के नाम किता 4 रकबा 10.08 बीघा दर्ज है। साबिक ख0न0 20 के गत बन्दोबस्त मे 18 नम्बर बने हे व वर्तमान कें 22 बने हैं। गत खसरा न0 18 गत बन्दोबस्त में दामोदरदास रूपनारायण आदि के खाते दर्ज नही है । मौके पर चाह,बावडी,छत्री आदि ख0न0 22 में स्थित है। आदेश मालसदर सिल न0 176/43 में दरख्त,बावडी,चाह,छत्री की भूमि को मिल्कियत सरकार में अमल होना था उपरोक्तानुसार ख0न0 22 वर्तमान में दामोदरदास रूपनारायण गोपालदास रामनिवास आ0 सुगनचन्द के खाते में गलत दर्ज हुई है। ख0न0 22 को दामोदरदास आदि के खाते से खारिज कर पुनः गणेश मन्दिर व बाग के नाम दर्ज करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रकरण के संलग्न जमाबन्दी सं01977,1978,1979,1980,1981 खाता मोजा सं0 1991,1992,1993,1994, दस्तावेज संख्या 27/41 व 28/41 मिसल न0 176/43 निर्णय प्रति,दस्तावेज संख्या 76/49 दिनांक 09.12.49,खाता संख्या 68, भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट जमाबन्दी, जमाबन्दी सं0 2,063–66 मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियमों के परिपेक्ष्य में अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण 01,4,6,11,13,15,16,17,20,22 की तलबी अखबार में साया कर करवाई गई लेकिन उपस्थित नही हुए व बाकी अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार द्वारा व्यक्त किया कि कस्बा भवानीण्डी तहसील पचपहाड़ के ख0न0 20/1 की 14.17 बीघा जो गणेश बाग के नाम पर दर्ज है में से 10.05 बीघा भूमि पांच साल की मोहलत पर महकमा आला द्वारा बाग लगाने हेतु दी गई थी सं0 1994 में खाता मोजा में गणेशबाग ख0न0 20 की 10.05 बीघा सूरजमल आ0 भूरामल के नाम दर्ज है इसमें भी उक्त भूमि पर बाग लगाने की पांच वर्ष की मंजूरी का नोट दर्ज है। अगस्त 1941 में गणेश बाग को सूरजमल आ0 भूरामल महाजन द्वारा हरकचन्द आ0 प्रेमराज महाजन को बेचान किया गया। बाग लगाने के लिये दी गई आराजी को बैचान कर देने पर मिसल न0 176/43 से कार्यवाही चली जिसके अन्तर्गत 15 दरख्त,बावडी,चाह,छत्री को खाता सरकार करने के आदेश दिये(दिनांक 30.03.43 की कार्यवाही अनुसार) तथा जिस भूमि पर सूरजमल,हरकचन्द द्वारा बाग लगाया गया है उसको हरकचन्द के खाते बांधने के आदेश है । उक्त बावडी,चाह,छत्री वर्तमान में ख0न0 22 में स्थित है जिसको मिल्कीयत सरकार में दिनांक 30.03.43 को आदेश है। मौके पर मंदिर पक्का बना हुआ है। इस स्थान को गणेश बाग के नाम से जाना जाता है। हरकचन्द के खाते बान्धे जाने के जिस भूमि के आदेश है वो हरकचन्द द्वारा दस्तावेज संख्या 76/49 दिनांक 09.12.49 से दामोदरदास रूपनारायण गोपालदास रामनिवास को बेचान करने पर खाते में उनका नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि में से ख0न0 22 रकबा 7.09 बीघा के अतिरिक्त समस्त भूमि का बैचान करने पर खातेदार रमाशंकर आ0 दुलीचन्द महाजन सरदार प्रीतमसिंह हरबशंसिंह पुत्र गोपालसिंह बालकिशन आ0 रामनारायण नाई के नाम किता 4 रकबा 10.08 बीघा दर्ज है। साबिक ख0न0 20 के गत बन्दोबस्त मे 18 नम्बर बने हे व वर्तमान कें 22 बने हैं। गत खसरा न0 18 गत बन्दोबस्त में दामोदरदास रूपनारायण आदि के खाते दर्ज नही है । मौके पर चाह,बावडी,छत्री आदि ख0न0 22 में स्थित है। आदेश मालसदर सिल न0 176/43 में दरख्त,बावडी,चाह,छत्री की भूमि को मिल्कियत सरकार में अमल होना था

जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.जिला कलक्टर,झालावाड़ (राज0)

मि0नं0 07 / रेफरेन्स / 10

उनवान रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़ (प्रार्थी)

बनाम

दामोदरदास रूपनारायण गोपालदास रामनिवास आ0 सुगनचन्द कोम महाजन सा0भवानीमण्डी

(अप्रार्थीगण)(मृतक)

जर्ये कायम मुकामानः–

(दामोदरदास लाऔलाद फोत)

01.राधेश्याम आ0 रूपनारायण माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी 247 महुबाला रोड़ रतलाम(म0प्र0)

02.सत्यनारायण आ0 रूपनारायण सुदामा नगर 1045 इन्दोर (म0प्र0)

03.लक्ष्मीनारायण आ0 रूपनारायण (फोत)

03 / 1 गोविन्द आ0 लक्ष्मीनारायण एलन केरियर कम्प्यूटर व कोचिंग संस्थान सी0379 तलवण्डी कोटा(राज0)

03 / 2 राजेश आ0 लक्ष्मीनारायण एलन केरियर कम्प्यूटर व कोचिंग संस्थान सी0379 तलवण्डी कोटा(राज0)

03 / 3 नवीन आ0 लक्ष्मीनारायण एलन केरियर कम्प्यूटर व कोचिंग संस्थान सी0379 तलवण्डी कोटा(राज0)

03 / 4 बृजेश आ0 लक्ष्मीनारायण एलन केरियर कम्प्यूटर व कोचिंग संस्थान सी0379 तलवण्डी कोटा(राज0)

04.मोहन आ0 रूपनारायण 48 आनन्द नगर चितावन इन्दोर(म0प्र0)

05.ईश्वर आ0 रूपनारायण 332 शोपिंग सेन्टर कोटा(राज0)

06.कृष्ण कुमार आ0 रूपनारायण सेन्ट जेवीयर्स कॉलेज के पास अहमदाबाद(गुजरात)

07.रामप्यारी बाई पुत्री रामनारायण म0न0 407 शेयर अपार्टमेन्ट 41 जगन्नाथपुरा मालेगंज इन्दोर(म0प्र0)

08.कन्याबाई पुत्री रूपनारायण पत्नी बिठलदास लड्डा बाजार नम्बर 6 रामगंजमण्डी,कोटा(राज0)

09.कृष्णबाई पुत्री रूपनारायण पत्नी राधारमण श्रीराम सीमेन्ट फेक्ट्री ए0के0रोड़ माण्डरोली मक्सी(म0प्र0)

10.चन्द्रशेखर आ0 गोपालदास महाजन फेक्ट्री एरिया भीलवाड़ा(राज0)

11.गोपीकृष्ण आ0 गोपालदास महाजन सेन्ट जेवीयर्स कॉलेज के पास अहमदाबाद(गुजरात)

12.कृष्णकान्त आ0 गोपालदास महाजन एलन केरियर कम्प्यूटर व कोचिंग संस्थान सी0379 तलवण्डी कोटा (राज0)

13.जगदीश आ0 गोपालदास महाजन फेक्ट्री एरिया भीलवाड़ा(राज0)

14.कौशल्या पुत्री गोपालदास महाजन 332 शोपिंग सेन्टर कोटा(राज0)

15.भगवती पुत्री गोपालदास महाजन पत्नी नामालूम बांरा(राज0)

16.तारामणी पुत्री गोपालदास महाजन पत्नी नामालूम नीमच(म0प्र0)

17.ओमप्रकाश आ0 रामनिवास महाजन सी स्कीम,जयपुर(राज0)

18.रमेशचन्द आ0 रामनिवास महाजन केयर ऑफ गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी बालाजी चौराहा भवानीमण्डी(राज0)

19.नरेन्द्र आ0 रामनिवास महाजन मंगलम सीमेन्ट फेक्ट्री मोडक,कोटा(राज0)

20.केलाश आ0 रामनिवास महाजन सेन्ट जेवीयर्स कॉलेज के पास अहमदाबाद(गुजरात)

21.सरला पुत्री रामनिवास महाजन पत्नी नामालूम बस स्टेण्ड के पास सारोला खानपुर,झालावाड़(राज0)

22.चन्द्रकान्ता पुत्री रामनिवास महाजन पत्नी नामालूम नि0 केशोराय पाटन जिला बून्दी(राज0)

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम व धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– पैरोकार सरकार प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांकः 06.02.2018

तहसीलदार पचपहाड़ प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कस्बा भवानीण्डी तहसील पचपहाड़ के ख0न0 20 / 1 की 14.17 बीघा जो गणेश बाग के नाम पर दर्ज है में से 10.05 बीघा भूमि पांच साल की मोहलत पर महकमा आला द्वारा बाग लगाने हेतु दी गई थी सं0 1994 में खाता मोजा में गणेशबाग ख0न0 20 की 10.05 बीघा सूरजमल आ0 भूरामल के नाम दर्ज है इसमें भी उक्त

जिला कलक्टर
झालावाड़

उपरोक्तानुसार ख0न0 22 वर्तमान में दामोदरदास रूपनारायण गोपालदास रामनिवास आ0 सुगनचन्द के खाते में गलत दर्ज हुई है। ख0न0 22 को दामोदरदास आदि के खाते से खारिज कर पुनः गणेश मन्दिर व बाग के नाम दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन व तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है, कि जिस भूमि को गणेश बाग के नाम से जाना जाता था उक्त भूमि बाग लगाने के लिये दी गई थी जिसका गलत बैचान कर देने पर मिसल न0 176/43 से कार्यवाही चली जिसके अन्तर्गत 15 दरख्त,बावडी,चाह,छत्री को खाता सरकार करने के आदेश दिये(दिनांक 30.03.43 की कार्यवाही अनुसार) तथा जिस भूमि पर सूरजमल,हरकचन्द द्वारा बाग लगाया गया है उसको हरकचन्द के खाते बांधने के आदेश है । उक्त बावडी,चाह,छत्री वर्तमान में ख0न0 22 में स्थित है जिसको मिल्कीयत सरकार में दिनांक 30.03.43 को आदेश है। मौके पर मंदिर पक्का बना हुआ है। इस स्थान को गणेश बाग के नाम से जाना जाता है। हरकचन्द के खाते बान्धे जाने के जिस भूमि के आदेश है वो हरकचन्द द्वारा दस्तावेज संख्या 76/49 दिनांक 09.12.49 से दामोदरदास रूपनारायण गोपालदास रामनिवास को बेचान करने पर खाते में उनका नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि में से ख0न0 22 रकबा 7.09 बीघा के अतिरिक्त समस्त भूमि का बैचान करने पर खातेदार रमाशंकर आ0 दुलीचन्द महाजन सरदार प्रीतमसिंह हरबशंसिंह पुत्र गोपालसिंह बालकिशन आ0 रामनारायण नाई के नाम किता 4 रकबा 10.08 बीघा दर्ज है। साबिक ख0न0 20 के गत बन्दोबस्त मे 18 नम्बर बने हे व वर्तमान कें 22 बने हैं। गत खसरा न0 18 गत बन्दोबस्त में दामोदरदास रूपनारायण आदि के खाते दर्ज नही है । मौके पर चाह,बावडी,छत्री आदि ख0न0 22 में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि आदेश मालसदर मिसल न0 176/43 में दरख्त,बावडी,चाह,छत्री की भूमि को मिल्कियत सरकार में अमल होना था उपरोक्तानुसार ख0न0 22 वर्तमान में दामोदरदास रूपनारायण गोपालदास रामनिवास आ0 सुगनचन्द के खाते में गलत दर्ज हुई है जो तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संलग्न दस्तावेजों से साबित है। अतः ख0न0 22 को दामोदरदास आदि के खाते से खारिज कर पुनः गणेश मन्दिर व बाग के नाम दर्ज करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स के रूप मे भेजा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जावे। चूंकि प्रकरण में पूर्व में भी अप्रार्थीगण की तलबी अखबार में साया करवाकर करवाई गई है। अतः उक्तानुसार अप्रार्थी के सूचना पत्र संलग्न नही किये जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़